

अति आवश्यक/महत्वपूर्ण  
विधानसभा मामला

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग)  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
एल.एम.बंध कार्यालय परिसर, शास्त्री नगर, दिल्ली-110031  
दूरभाष संख्या 22424989

सं. सी.ई.एफ./एस.एस.डब्ल्यू/वि.स.सत्र/2022/ 7490

दिनांक 23.3.22

सेवा में,

उप-सचिव (प्रश्न शाखा)  
दिल्ली विधान सभा सचिवालय  
पुराना सचिवालय, दिल्ली-54

विषय:- विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 57 दिनांक 24-03-2022 के संबंध में।

महोदय,

कृपया आपके कार्यालय के पत्र दिनांक 14-03-2022 का अवलोकन करें जिसके साथ उपरोक्त अतारांकित प्रश्न संख्या 57 सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को भेजा गया है। इस संबंध में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के उत्तर की 100 प्रतियां सूचनार्थ हेतु संलग्न है।

यह उत्तर सक्षम अधिकारी से मिली स्वीकृति अनुसार भेजा जाता है।

संलग्न:- उपरोक्त।

भवदीय,

(रवीन्द्र कुमार)

कार्य सर्वेक्षक/नोडल अधिकारी

सं. सी.ई.एफ./एस.एस.डब्ल्यू/वि.स.सत्र/2022/

दिनांक

प्रतिलिपि:-

1. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली -2 को प्रश्न के उत्तर की प्रतिलिपि सहित सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली सरकार, तीसरा तल, एम् एस ओ बिल्डिंग, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली- 02 को प्रश्न के उत्तर की प्रतिलिपि सहित सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक, सूचना एवं प्रसारण निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली-54 को प्रश्न के उत्तर की 150 प्रतियां सहित प्रेषित।

कार्य सर्वेक्षक/नोडल अधिकारी

कार्यालय मुख्य अभियन्ता  
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग  
दिल्ली सरकार  
एल.एम.बंध कार्यालय परिसर, शास्त्री नगर, दिल्ली

अतारंकित प्रश्न संख्या : 57

दिनांक : 24-03-2022

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री सुरेन्द्र कुमार

क्या माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

प्रश्न	उत्तर
क) गोकलपुर विधान सभा के विकास हेतु पिछले 2 वर्षों में अब तक कितनी कॉलोनियों के विकास की स्कीमें बनाई गई हैं,	गोकलपुर विधानसभा के विकास हेतु पिछले 2 वर्षों में 10 कॉलोनियों के विकास की 18 स्कीमें बनाई गई हैं।
ख) यदि हां, तो उनका बजट कितना आबंटित हुआ है और	उपरोक्त कॉलोनियों के विकास की स्कीमों का कोई बजट अभी तक आबंटित नहीं हुआ है।
ग) गोकलपुर विधान सभा क्षेत्र के विकास हेतु पिछले 2 वर्षों में बनाई गई स्कीमों को एस.ई. द्वारा बार-बार रोके जाने के क्या कारण हैं?	उपरोक्त 18 स्कीमों में से एसई ऑफिस द्वारा 10 स्कीमों उच्च कार्यालय को 16.03.2022 को अग्रसारित की गई है। शेष 8 स्कीम दिनांक 21.03.2022 को डिवीज़न से एस ई ऑफिस में प्राप्त की गई है, जिन्हे सर्कल में जाँच के उपरांत उच्च कार्यालय को भेजा जायेगा।

(रवीन्द्र कुमार)

नोडल अधिकारी

नोडल अधिकारी/कार्यसर्वेक्षक  
कार्यालय मुख्य अभियन्ता  
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग  
एल.एम. क्षेत्र दिल्ली सरकार